



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 28.11.2024

थाना फेस-3 पुलिस द्वारा 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 28.11.2024 को थाना फेस-3 पुलिस द्वारा बीट पुलिसिंग व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए मॉडल शाप सैक्टर 66 ममूरा से अभियुक्त 1. लवकुश पुत्र प्रहलाद 2. सोनू पुत्र लौटू 3. सुरेश खत्री पुत्र टेक खत्री सम्बन्धित मु0अ0सं0 405/2024धारा 115(2)/105 बीएनएस को गिरफ्तार किया गया है। उक्त प्रकरण में 01 अभि0 रितिक पुत्र मुकेश निवासी ग्राम धुर्लायी अभिमान थाना सुनोभाटा जिला छपरा बिहार हाल पता अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पास मुर्गा मंडी खोडा कालोनी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 24.11.2024 को अंकित उर्फ निशांत के साथ शराब पीने के दौरान अचानक एवं उत्तेजित होकर मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाना और इलाज के दौरान पीडित उपरोक्त की सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. लवकुश पुत्र प्रहलाद मूलनिवासी ग्राम श्रीविलवा थाना कुलौरा जिला सिद्धार्थनगर हालपता माडल शाप से0-66 ममूरा थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 22 वर्ष
2. सोनू पुत्र लौटू निवासी हयातनगर थाना बांसी जिला सिद्धार्थनगर हाल पता मॉडल शाप से0-66 ममूरा थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 27 वर्ष
3. सुरेश खत्री पुत्र टेक खत्री निवासी नरपामी थाना नरपामी जिला आरगाहखाची नेपाल हाल पता मॉडल शाप से0-66 ममूरा थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष

अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 405/2024धारा 115(2)/105 बीएनएस थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

2. थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती होने के बाद लिव इन में रह रही प्रेमिका की हत्या करने वाला प्रेमी/अभियुक्त अभियोग पंजीकृत होने के मात्र 12 घण्टे के अंदर गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 27.11.2024 को वादिया द्वारा थाना सेक्टर-63, नोएडा पर दी गयी तहरीर के आधार पर सूर्यकांत शाक्य पुत्र नामालूम द्वारा लिव इन में अभियुक्त के साथ रह रही वादिया की भतीजी खुशबू उर्फ खुशी (उम्र 26 वर्ष) की हत्या कर देने एवं मौके से भाग जाने के सम्बन्ध में दिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सेक्टर-63, नोएडा पर मु0अ0सं0 540/2024 धारा 103 बीएनएस बनाम सूर्यकांत उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही का विवरण-- थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा इलैक्ट्रानिक सर्विलांस एवं लोकल इंटेलीजेंस के आधार पर नामित/वांछित अभियुक्त सूर्यकांत शाक्य पुत्र भोजपाल को दिनांक 28.11.2024 को एसजेएम कट छिजारसी से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार अभियुक्त सूर्यकांत शाक्य उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरी खुशबू उर्फ खुशी के साथ इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई और हम दोनो पिछले 01 वर्ष से सम्पर्क में थे। वर्तमान में हम दोनों पिछले 02 महीने से एक साथ लिव इन में रह रहे थे। कुछ दिन पूर्व खुशबू की शादी उसकी मौसी के लड़के के साथ तय हुई थी। खुशबू उर्फ खुशी अपने होने वाले पति जावेद से बातचीत करती थी। मैं अपनी प्रेमिका खुशबू को जावेद से बात करने के लिए मना करता था और अपने साथ शादी करने के लिए कहता था। परन्तु खुशबू उर्फ खुशी मेरे साथ लिव इन में तो रह रही थी लेकिन वह शादी जावेद से ही करना चाहती थी। इसी बात को लेकर हम दोनो के बीच अक्सर लडाई झगडा होता रहता था। दिनांक 26.11.2024 को भी मैंने खुशबू पर अपने साथ शादी करने का दबाव बनाया तो खुशबू मना करने लगी। इसी बात को लेकर हम दोनो के बीच झगडा हो गया तथा अपनी प्रेमिका खुशबू की गला दबाकर हत्या कर दी और मैं मौके से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. सूर्यकांत शाक्य पुत्र भोजपाल निवासी ग्राम ऊंचागांव नगरिया थाना सहावर जिला कासगंज हालपता किराये का मकान छिजारसी कालोनी थाना सेक्टर-63, नोएडा (उम्र 22 वर्ष)

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 540/24 धारा 103 बीएनएस थाना सेक्टर-63, नोएडा